राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामचन्द्र बनाम मुरलीराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	35/2021	
23/12/2025	~~पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील~~ लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29/12/2025 को पेश हो।	
29/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21/01/2020 पारित करते प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु क्रमशः प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होना धारित करते हुये प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की लिखित बहस एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि रेस्पो. प्रश्नगत भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, ऐसेमें विधि के प्रावधानों के अनुसरण में एक रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार को उसकी खाते की आराजी के स्वतन्त्र उपयोग-उपभोग से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर भी अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21/01/2020 में कोई त्रुटी जाहिर नही होने से उसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	